राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1769 दिनांक 18/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 276/2012 अनवान भूराराम बनाम लिच्छाराम वगैरा में पारित निर्णय पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक ...17-7-17... को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करावे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

1.भूराराम पुत्र ताजाराम
जाति जाट
निवासी आजाद नगर, नेतराड़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

1. लिच्छाराम 2.वनाराम पि. लिखमाराम
3.भगाराम पुत्र हीराराम 4.भीयाराम 5.देराजराम
पि.मूलाराम, जाति जाट,
निवासी आजाद नगर, नेतराड़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
6.तहसीलदार चौहटन।

वाद बाबत **183,188, RT Act.**
मुकदमा नं. 276/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री नरेश भादू** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री पवन धारीवाल** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आजाद नगर, नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 743/147 कुल रकबा 93.13 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का वादी के खसरा सं. 743/147 पर रकबा 07.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। जिसे हटाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिये जाते है कि निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करावे।**

.... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .... को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

दस्तखत

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 276/2012

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 183,188, रा.का.अ.

अनवान वादी – 1.भूराराम पुत्र ताजाराम, जाति जाट
निवासी आजाद नगर, नेतराड
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. लिच्छाराम 2.वनाराम पि. लिखमाराम
3.भगाराम पुत्र हीराराम 4.भीयाराम 5.देराजराम
पि.मूलाराम, जाति जाट,
निवासी आजाद नगर, नेतराड़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
6.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री नरेश भादू**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री पवन धारीवाल**

निर्णय

दिनांक :– 14-2-12

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी का एक खेत मौजा आजाद नगर, नेतराड़ तहसील चौहटन में खसरा सं. 743/143 रकबा 93.13 बीघा का आया हुआ है। वादी के खातेदारी खेत के सेढ़ा सेढ़ प्रतिवादीगण के खेत आये हुए है। पक्षकारों के खेतों के मध्य पुरानी माठे स्थापित है। प्रतिवादीगण झगड़ालू प्रवृति के लोग है एवं समय समय पर खेत के सेढ़े कायम कदामी तोड़कर व पेड़ पौधे काटकर वादी के खेतो पर अतिक्रमण करते आ रहे है। वादी ने राजस्व आवेदन सं. 83/12 अनवान भूराराम बनाम मोडाराम वगैरा में नेखमबन्दी के आदेश करावे जिसकी पालना रिपोर्ट में वादी के खसरा सं. 743/147 पर प्रतिवादीगण का 07.00 बीघा का अतिक्रमण पाया गया । इस लिए वादी ने प्रतिवादीगण को खेत खसरा सं. 743/147 से बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खातेदारी में हस्तक्षेप एवं आतिक्रमण नहीं करे । जिसकी वाद पेश कर इस्तदुआ चाही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं अतः

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील द्वारा पी.डब्ल्यू.1 भूरा पुत्र ताजा, पी.डब्ल्यू 2 वीरूराम पुत्र रतनाराम, पी.डब्ल्यू. 3 तिलाराम पुत्र नीम्बाराम के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये जो पत्रावली शामिल किये गये। प्रतिवादी वकील ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी मय वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण (प्रार्थी) अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। जिस पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण (प्रार्थी) अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौहटन से वादग्रस्त खसरा की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प चौहटन में पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त जो पत्रावली शामिल की गई। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183,188 रा.का.अ. स्वीकार किया जाता है एवं **ग्राम आजाद नगर, नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 743/147 कुल रकबा 93.13 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का वादी के खसरा सं. 743/147 पर रकबा 07.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। जिसे हटाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने का आदेश दिया जाता है।** तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.7.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प चौहटन मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन